

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 285/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आवास फाईनेन्सर्स लि. (पूर्व नाम एयू हाउसिंग फाईनेन्स लि.) पंजिकृत कार्यालय 201-202 फ्लोर
साउथेड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डिस्ट्रीयल एरिया, जयपुर ।

प्रार्थी

वित्तीय संस्था

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह
पता:-1. वार्ड नम्बर 14, राजपूतो का मोहल्ला, मोती मस्जिद की गली, शाहपुरा एच.ओ. जयपुर
राजस्थान ।
2. ई डब्लू एस /प्लेट 409, थर्ड फ्लोर, सी ब्लॉक, गिन्नी होम्स स्कीम, खसरा नम्बर
1310/1, 1311, 1665 एण्ड 1312 ग्राम शाहपुरा, जिला जयपुर ।
2. श्रीमती ममता कंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह निवासी वार्ड नम्बर 14, राजपूतों का मोहल्ला, मोती मस्जिद
की गली, शाहपुरा एच.ओ. जयपुर, राजस्थान ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement
of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :-1. महावीर सिंह राठौड अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्थान की ओर से ।

आदेश


दिनांक: 21.03.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक
24.01.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह व श्रीमती ममता
कंवर के स्वामित्व की सम्पत्ति ई डब्लू एस /प्लेट 409, थर्ड फ्लोर, सी ब्लॉक, गिन्नी होम्स स्कीम,
खसरा नम्बर 1310/1, 1311, 1665 एवं 1312 ग्राम शाहपुरा, जिला जयपुर क्षेत्रफल 350 वर्गफिट
को बन्धक रख कर कुल राशि 5,96,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी
ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा
13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.09.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये।
नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय
संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद
उपलब्ध का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया ।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 के क्रम संख्या 6 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 5,96,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 5,69,570/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 08.09.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह व श्रीमती ममता कंवर के स्वामित्व की सम्पत्ति ई डब्लू एस /प्लेट 409, थर्ड फ्लोर, सी ब्लॉक, गिन्नी होम्स स्कीम, खसरा नम्बर 1310/1, 1311, 1665 एवं 1312 ग्राम शाहपुरा, जिला जयपुर क्षेत्रफल 350 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दर्ज हो।

3. आदेश आज दिनांक 21.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।


(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर